न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–अनूपपुर

कैलाश सोनी पुत्र स्व0 श्यामलाल सोनी, निवासी – वार्ड नं.3 कोतमा, तहसील कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

2– अनुविभागीय अधिकारी, अनूपपुर, जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

3– तहसीलदार, तहसील कोतमा, जिला–अनूपपुर (म.प्र.)

-- अनावेदकगण

माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2017 के पालन में तहसीलदार, तहसील कोतमा को कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये जाने हेतु म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रस्तुत है :–

1. यहकि, उपरोक्त प्रकरण में न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 10ए/2009 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2010 आवेदक के हित में पारित किया गया है।
2. यहकि, माननीय अपर जिला न्यायाधीश, कोतमा, जिला अनूपपुर द्वारा पारित आदेश में यह माना गया है कि खसरा नम्बर 877/5 क्षेत्रफल 12 डिसमिल भूमि के आंशिक भू–भाग 60x80 वर्गफुट अर्थात 4800 वर्गफुट की भूमि इस संबंधित सम्पत्ति से वादी पक्ष यानि आवेदक को विधि की सम्यक प्रक्रिया का अनुसरण किये बगैर प्रतिवादीगण वर्तमान प्रकरण के अनावेदकगण के द्वारा

18

R-4475/18 अनुच्छेद 2

27-8-18 आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी उप.। प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु।
C.F. 12-10-18
आज्ञा से

12-10-18 आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी उप.। प्रकरण कायमी पर तर्क हेतु।
cf- 12-11-18
आज्ञा से
PR

12-11-18 ~~आवेदक अभि. श्री के.के. द्विवेदी~~ उप.। रिफरेंस होजाने से प्रकरण में कायमी हेतु आगामी पेशी दिनांक 9-1-19 नियत की जाती है।
c/f 9-1-19
आज्ञा से

9/1/19 — आवेदक अभि श्री के.के. द्विवेदी उप० के द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाने हेतु अनुरोध किया गया है।
— शासकीय अभि० श्री विवेक भार्गव उपस्थित।
— शासकीय अभिभाषक को आवेदक अभिभाषक के तर्क पर अनुरोध पर कोई आपत्ति नहीं है।
— अतः प्रकरण में withdrawn की अनुमति प्रदान की जाती है एवं प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।
9.1.19

12.10.18
12.11.18
9-1-19
9-1-19